भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2231

15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नि:शुल्क तथा समान स्वास्थ्य सेवाएं

2231. श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्री अजय कुमार मंडल:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है;
(ख) क्या राज्य सरकारें धनराशि की कमी के कारण लोगों को 24 घंटे के आधार पर महत्वपूर्ण नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या देश में महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है और यदि हां, तो देश के सभी नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश के सभी नागरिकों को नि:शुल्क और एक समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में समान, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या

प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के तहत रिकॉर्ड आफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संविदात्मक आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन की नियुक्ति, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित गतिविधियां, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, मुफ्त नैदानिक सेवा पहल और मुफ्त दवा सेवा पहल के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम, निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्य (एसएएएनएस), छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके), प्रारंभिक बचपन विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान(पीएमटीबीएमबीए), पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी पहलें की गई हैं।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल' (एफ डी एस आई) कार्यक्रम की सहायता करता है। इस कार्यक्रम को समुदाय के समीप सुगम और वहनीय पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिसके फलस्वरूप रोगी के जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएं (उप केंद्रों पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63 परीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97 परीक्षण, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण) नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।
प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 तक देश भर में जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) स्थापित करने के लिए आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार, पिछले 7 वर्षों के दौरान जेब से होने वाला खर्च (ओओपीई) कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के 64.2% से घटकर 47.1% हो गया है।
भारत सरकार देश के सभी नागरिकों को मुफ्त और एक समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहलें लागू करती है। इन योजनाओं/पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर (एएएम) स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया है जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवांए शामिल हैं जो सार्वभौमिक, निशुल्क और समुदाय के करीब हैं। दिनांक 30.11.2023 तक देश भर में कुल 1,62,991 एएएम कार्य कर रहे हैं।
- लोगों के करीब विशेषज्ञ सेवांए सुनिश्चित करने के लिए ई संजीवनी के माध्यम से टेलीपरामर्श सेवांए कार्यशील एबी-एचडब्ल्यूसी में उपलब्ध हैं। दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक , ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 19.09 करोड़ से अधिक टेलीपरामर्श प्रदान किए गए हैं। स्तन, मुख और गर्भाश्य कैंसर के लिए एएएम में महिलाओं की जांच भी की जा रही है।
- राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल **के तहत** राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इनके स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों को जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के स्तर के आधार पर अनिवार्य औषधियां नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती हैं। .
- एनएचएम के तहत एक केंद्रीयकृत टॉल-फ्री नंबर 108/102 से जुडी कार्यशील राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा (एनएएस) के माध्यम से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाईयां (एनएमएमयू) प्राथमिक परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से दूरस्थ , दुर्गम, अल्पसेवित और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए घर तक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

******